रामेश्वरी देवी राज0 स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
भरतपुर (राज0)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की XII वीं योजनान्तर्गत
आयोजित कार्यशाला

मानवाधिकार तथा कर्तव्य परिबोध

(Human Rights & Duties Education)

17 जनवरी 2017

RAMESHWARI DEVI GOVT. GIRLS P.G. COLLEGE, BHARATPUR (RAJ.)

WORKSHOP ON

HUMAN RIGHTS & DUTIES EDUCATION

January 17, 2017

Organized by :

HUMAN RIGHTS CLUB

Under

XII Plan of

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम
उपाचार्य

डॉ0 अशोक कुमार बंसल
प्राचार्य

आयोजन कर्त्ता

हयूमन राइट्स क्लब

डॉ0 अन्जु पाठक, प्रभारी
डॉ0 अलका गोयल, सदस्य

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक
1.	प्राचार्य की कलम से
2.	उपाचार्य का संदेश
3.	आभार समन्वयक द्वारा
4.	कार्यक्रम विवरण
5.	कार्यशाला विवरण
	• उदघाटन सत्र
	• प्रथम सत्र
	• द्वितीय सत्र
	• खुला सत्र
	• समापन सत्र
6.	अनुबन्ध
	• Constitutional Rights to women
	• Laws & Procedures : Sexual Harassement in work place
	• प्रतिभागी छात्राओं के नाम
	• कार्यशाला के छायाचित्र
	• समाचार पत्रो की झलकियाँ

डॉ0 अशोक कुमार बंसल
प्राचार्य
रामेश्वरी देवी राजकीय
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,
भरतपुर (राज0)

प्राचार्य की कलम से .....

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि ह्यूमन राइट्स क्लब द्वारा यूजीसी की बारहवीं योजना के अन्तर्गत 'मानवाधिकार तथा कर्तव्य परिबोध' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय के सभी संकायों की छात्राओं ने उत्साह पूर्वक बड़ी संख्या में सहभागिता दी। कार्यशाला में विविध क्षेत्रों में कार्यरत प्रबुद्ध वक्ताओं ने छात्राओं को मानवाधिकार से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक किया तथा साथ ही अपने कर्तव्यों का भी बोध कराया। देश की युवा शक्ति को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करने वाले ऐसे कार्यक्रम निश्चय ही सराहनीय हैं।

मैं कार्यशाला के सफल आयोजन पर ह्यूमन राहट्स क्लब के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ।

प्राचार्य

श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम,
उपाचार्य
रामेश्वरी देवी राजकीय
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,
भरतपुर (राज0)

उपाचार्य का सन्देश

रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारहवीं योजनान्तर्गत मानवाधिकार एवं कर्तव्य परिबोध विषय पर महाविद्यालय के मानवाधिकार क्लब द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन निश्चय ही एक सुखद समाचार है। आज छात्राओं को स्वयं के अधिकार के साथ–साथ अपने कर्तव्य बोध दायित्व का निर्वहन भी करना चाहिये। इस दिशा में मानवाधिकार क्लब की वर्ष भर की गतिविधियों के साथ यह कार्यशाला निश्चय ही छात्राओं के जीवन में नवीन उत्साह और उमंग भरेगी ऐसी कामना है।

मैं कार्यशाला के सफल एवं उद्देश्यपूर्ण कार्यकलापों की प्रशंसा करती हूँ।

उपाचार्य

डॉ0 अन्जु पाठक,
कार्यशाला समन्वयक,
प्रभारी– ह्यूमन राइट्स क्लब

आभार

वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों का सम्मान एक महत्वपूर्ण विषय है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में, समाज और देश के कल्याण के लिये हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ह्यूमन राइट्स क्लब द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में 17 जनवरी, 2017 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रस्तुत रिपोर्ट में "Human Rights and Duties Education" (मानवाधिकार तथा कर्तव्य परिबोध) विषय पर आयोजित इस कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में आयोजित गतिविधियों तथा प्राप्त अनुभवों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया है।

इस कार्यशाला की परिकल्पना से लेकर परिणिति तक सभी स्तरों पर प्राप्त प्रेरणा व सक्रिय मार्गदर्शन के लिये मैं महाविद्यालय प्राचार्य डॉ0 अशोक कुमार बंसल तथा उपाचार्य श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम की हार्दिक आभारी हूँ।

कार्यशाला के विद्वान वक्तागण श्रीमती अर्चना मिश्रा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण भरतपुर, डॉ0 अलका अग्रवाल उपाचार्य, एम.एस.जे. कॉलेज भरतपुर तथा श्री के.एस. मिश्रा प्राध्यापक राजकीय विधि

महाविद्यालय, भरतपुर का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अपने जीवन्त व्याख्यानों से छात्राओं को इस विशद विषय से साक्षात्कार कराया।

मैं महाविद्यालय की वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती लता शर्मा तथा यू.जी. सी. समिति प्रभारी डॉ0 करूणा गौर को उनके सहयोग के लिये हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

ह्यूमन राइट्स क्लब सदस्या डॉ0 अलका गोयल ने कार्यशाला को सफल बनाने में पूर्ण मनोयोग से सहभागिता दी जिसके धन्यवाद ज्ञापन हेतु शब्दों का चयन कठिन है। डॉ. राकेश कुमार का कार्यशाला में सहयोग अत्यन्त प्रशंसनीय रहा।

महाविद्यालय के अन्य व्याख्यातागण, मंत्रालयिक स्टाफ तथा सहायक कर्मचारियों को हार्दिक आभार जिन्होंने कार्यशाला में उपस्थित होकर तथा सहयोग कर अपना योगदान दिया।

पत्रकार बन्धुओं का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने कार्यशाला गतिविधियों को समाचार पत्रों के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाया।

अन्त में, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हार्दिक आभार प्रदर्शित करती हूँ जिनके वित्तीय सहयोग से यह कार्यशाला सम्भव हो सकी।

डॉ0 अन्जु पाठक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की XII वीं योजनान्तर्गत आयोजित कार्यशाला

मानवाधिकार तथा कर्तव्य परिबोध

(Human Rights & Duties Education)

आयोजन कर्त्ता – ह्यूमन राइट्स क्लब

रामेश्वरी देवी राज0 स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,भरतपुर

17 जनवरी 2017

10.00–10.30 पंजीकरण

10.30–11.00 उद्घाटन सत्र

सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन
अतिथियों का स्वागत तथा परिचय
कार्यशाला का परिचय – डॉ. अंजु पाठक
यूजीसी योजना परिचय– डॉ. करूणा गौर
उद्बोधन – उपाचार्य श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम
उद्बोधन – प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार बंसल

11.00–12.30 प्रथम सत्र (Human Rights)

अध्यक्षता – श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम उपाचार्य
विषय प्रवर्तन – डॉ0 अलका गोयल
व्याख्यान – डॉ0 अलका अग्रवाल, उपाचार्य एम.एस.जे कालेज
विषय – भारत में मानवाधिकार
व्याख्यान – डॉ0 अलका अग्रवाल, उपाचार्य एम.एस.जे कालेज
विषय – मानवाधिकार एवं महिलाऐं
अध्यक्षीय भाषण – श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम

12.30–12.45 लघु अन्तराल

12.45–2.15 द्वितीय सत्र (Duties Education)

अध्यक्षता – श्रीमती लता शर्मा
विषय प्रवर्तन – डॉ0 अलका गोयल
व्याख्यान – श्रीमती अर्चना मिश्रा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीडन प्रकरण भरतपुर
विषय – महिला सशक्तीकरण एवं अधिकार
व्याख्यान – श्री के.एस.मिश्रा प्राध्यापक राज. विधि महा.भरतपुर
विषय – मानवाधिकार एवं नागरिकों के कर्तव्य
अध्यक्षीय भाषण – श्रीमती लता शर्मा

2.15–3.00 खुला सत्र

प्रतिभागियों के विचार तथा समूह चर्चा

3.00–4.00 समापन सत्र

कार्यशाला का सारांश – डॉ0 अंजु पाठक
प्रमाण–पत्र वितरण
उद्बोधन – उपाचार्य श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम
उद्बोधन – प्राचार्य डॉ0 अशोक कुमार बंसल
धन्यवाद ज्ञापन – डॉ0 अलका गोयल

रामेश्वरी देवी राज0 स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,भरतपुर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की XII वीं योजनान्तर्गत आयोजित कार्यशाला

मानवाधिकार तथा कर्तव्य परिबोध

(Human Rights & Duties Education)

आयोजन कर्त्ता – ह्यूमन राइट्स क्लब

17 जनवरी 2017

परिचय

विश्व के वर्तमान परिदृश्य में मानवाधिकार एक ज्वलंत विषय के रूप में परिलक्षित हुआ है। संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं आदर्श मूल्यों के बावजूद व्यावहारिक धरातल पर मानवाधिकारों का हनन एक आम बात है। साथ ही बढ़ती हुई शिक्षा के बाद भी नागरिकों का अनुत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार व अपने कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा एक चिन्ता का विषय है।

इसी परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय की छात्राओं को मानवाधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत किये जाने तथा इनसे सम्बंधित वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराने के लिये 17 जनवरी 2017 को 'मानवाधिकार व कर्तव्य परिबोध' (Human Rights and Duties Education) विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय की कला, विज्ञान तथा वाणिज्य, सभी संकायों की 103 छात्राओं ने प्रतिभागिता दी।

कार्यशाला का आयोजन राज्य सरकार के आदेशानुसार महाविद्यालय में संचालित ह्यूमन राइट्स क्लब द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 12वीं योजना में Grants in Aid General (31) के अन्तर्गत कराया गया।

कार्यशाला विवरण

पंजीकरण (प्रातः 10.00 से 10.30)

कार्यशाला में महाविद्यालय के सभी संकायों की 103 छात्राओं ने अत्यन्त उत्साहपूर्वक अपना पंजीकरण कराया। पंजीकृत छात्राओं को फोल्डर, लेखन सामग्री एवं सम्बंधित साहित्य उपलब्ध कराया गया।

उद्घाटन सत्र (प्रातः 10.30 से 11.00)

उद्घाटन सत्र का शुभारम्भ माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती वन्दना द्वारा हुआ। कार्यक्रम संचालन करते हुए ह्यूमन राइट्स क्लब की सदस्या **डॉ. अलका गोयल** ने अतिथियों का स्वागत करते हुये उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया।

कार्यशाला समन्वयक डॉ0 अन्जु पाठक ने कार्यशाला का परिचय देते हुये बताया कि मानव समाज में मौजूद समस्याओं का निराकरण करना ही मानवाधिकार की संकल्पना का लक्ष्य है। मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं तथा जिनके सभी मानव प्राणी हकदार है जैसे कि जीवन और आजाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनकर सार्वभौमिक सत्यता का सूत्रपात कर रहा है।

समसामयिक दृष्टिकोण से मानवाधिकारों का सम्मान गंभीर चिन्तन का विषय बना हुआ है। परस्पर सद्भाव द्वारा ही हम मानवाधिकारों की रक्षा के लिये अपनी ओर से गारन्टी दे सकते हैं। साथ ही हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना होगा तभी एक संतुलित समाज की स्थापना हो सकती है।

विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के आदेशानुसार महाविद्यालय में ह्यूमन राइट्स क्लब संचालित है। यूजीसी की 12वीं योजना में Human Rights & Duties Education के महत्व को रेखांकित करते हुए Grant-in-Aid Genral (31) के अन्तर्गत इस दिशा में विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिये विभिन्न गतिविधियाँ कराने के निर्देश हैं जिसके अन्तर्गत इस कार्यशाला का आयोजन कराया गया।

डॉ0 अन्जु पाठक ने आशा व्यक्त की, कि प्रतिभागी छात्राओं के लिये यह कार्यशाला अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी तथा मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ वे अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होंगी।

यूजीसी समिति प्रभारी डॉ0 करूणा गौर ने महाविद्यालय में यूजीसी के तत्वावधान में संचालित विभिन्न गतिविधियों का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि यूजीसी की 12वीं योजना में विभिन्न गतिविधियों के लिये अलग-अलग मद में धनराशि उपलब्ध हुई है। पहली Grant-in-Aid General(31) तथा दूसरी Capital Assets (35).

UGC की Grant-in-aid General मद में यूजीसी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में Carrier Counselling & Placement Cell द्वारा दो

दिवसीय कार्यशाला आयोजित कराई गई, जिसमें अनेक छात्रायें लाभान्वित हुई। इसी क्रम में सांस्कृतिक तथा साहित्यिक समिति द्वारा अनेक कार्यक्रम कराये गये जिनमें नुक्कड़ नाटकों के द्वारा दी गई विभिन्न जन कल्याणकारी सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी विशेष आकर्षण बिन्दु था।

इसी प्रकार Field Work & Study Tours के अन्तर्गत प्राणिशास्त्र विभाग द्वारा B.Sc. (Bio) की छात्राओं को बृज हैल्थ केयर सेन्टर ले जाकर मधुमक्खी पालन तथा शहद प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

इसी क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा Extension Activities के अन्तर्गत विस्तार भाषण प्रस्तावित हैं। वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा एक शैक्षणिक भ्रमण Mushroom Production & Culture Technique विषय पर प्रस्तावित है जो विज्ञान की छात्राओं के लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा।

Competence Building Initiatives in Colleges मद में खेल विभाग द्वारा एक द्वि दिवसीय खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षकों द्वारा छात्राओं को उच्च तकनीकी जानकारी तथा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इसी श्रृंखला में ह्यूमन राइट्स क्लब द्वारा आज Human Rights and Duties Education विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसके द्वारा महाविद्यालय के सभी संकायों की छात्राओं को मानवाधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक किया जायेगा।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय की **कार्यवाहक प्राचार्य श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम** ने छात्राओं को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हुए ऐसी गतिविधियों का अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए, अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करके ही 7 राष्ट्र की जिम्मेदार नागरिक बन सकती हैं। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने इस प्रकार की कार्यशालाओं के महत्व को रेखांकित किया तथा अतिथि व्याख्याताओं को कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रथम सत्र (11.00 से 12.30)

कार्यशाला के प्रथम सत्र में विषय प्रवर्तन करते हुए संचालिका **डॉ. अलका गोयल** ने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास एवं उन्नति के लिए मानवाधिकार प्रत्येक देश की सरकार को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने चाहिए। मानवाधिकारों के विकास के इतिहास को बताते हुए उन्होंने बताया कि भारत में वैदिककाल से ही अधिकार और कर्त्तव्यों को धर्म के रूप में पारिभाषित किया गया है। कर्म ही अधिकार और कर्तव्य माने गये थे। पाश्चात्य जगत में ब्रिटेन में 1215 में मैग्नाकार्टा, 1689 में बिल ऑफ राइट्स, 1776 में अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी धारणा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं जैसे कार्यों ने मानवाधिकार प्राप्ति की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। 1833 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दास प्रथा की समाप्ति विधेयक द्वारा मानवाधिकारों की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया। 1919 में राष्ट्रसंघ ने मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य किए। द्वितीय विश्वयुद्ध भी वस्तुतः स्वतंत्रता व अधिकारों का युद्ध था। 1996 में श्रीमती

रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग बना जिसके तहत 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई जिसमें 30 अनुच्छेद रखे गये।

भारतीय संविधान के भाग 3 व 4 में मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेखित किया गया है जिनका विस्तृत विश्लेषणात्मक उल्लेख आगन्तुक वक्ताओं द्वारा किया जायेगा। भारत एवं विश्व में महिला मानवाधिकारों की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। भारतीय संविधान में इस हेतु पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। 1926 से नई दिल्ली में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में महिला अधिकारों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय सभा की स्थापना की गई। विश्व में और भी संस्था महिला अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रही है।

कार्यशाला के प्रथम सत्र के प्रथम व्याख्यान में **महारानी श्रीजया महाविद्यालय की उपाचार्य डॉ. अलका अग्रवाल ने 'भारत में मानवाधिकार'** विषय का विश्लेषणात्मक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मूल अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यक्ति व व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हों। ये अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। भारतीय संविधान में शामिल किये गये मूल अधिकारों के उद्देश्य हैं, ऐसी सरकार का गठन करना जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के हितों में अभिवृद्धि करना है।

उन्होंने बताया कि प्रायः सभी मूल अधिकार केवल राज्यों के विरूद्ध व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं लेकिन कुछ अधिकार व्यक्तियों के विरूद्ध भी

प्रदान किये गये हैं जैसे सामाजिक विभेद का प्रतिषेध, बलात श्रम का निषेध, सेवाओं में समान अवसर, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अस्पृश्यता के चयन का प्रतिषेध आदि। मूल अधिकारों का निलम्बन किया जा सकता है लेकिन संविधान से इन्हें निकाला नहीं जा सकता। संविधान में कुछ अधिवार नकारात्मक है जो राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं तो कुछ सकारात्मक है जो नागरिकों को स्वतंत्रता एवं अवसर प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अन्तर्विष्ट मूल अधिकारों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है।

कार्यशाला के प्रथम सत्र के द्वितीय व्याख्यान में **डॉ. अलका अग्रवाल** ने **'भारत में मानवाधिकार एवं महिलाऐं'** विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान ने सभी को समान अधिकार प्रदान किये है। महिलाओं को पुरूषों के समान स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा आदि सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो भारत में महिलाऐं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी नई दिल्ली में भी महिलाऐं घर से बाहर अकेली नहीं निकल सकती। महिला को जन्म से पूर्व ही भ्रूण हत्या के रूप में, जन्म के बाद हत्या के रूप में, खानपान में, शिक्षा के अधिकार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समान क्षेत्र में काम करने पर भी महिलाओं को पुरूषों के समान वेतन उपलब्ध नहीं हो पाता। घरेलू हिंसा में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। महिलाओं के शारीरिक शोषण के अनुपात में लगातार वृद्धि हो रही है।

उन्होंने बताया कि इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं को स्वयं जागरूक होना होगा, अपना सम्मान करना होगा। महिलाऐं अपने हाथ में निर्णय क्षमता लें क्योंकि स्वतंत्र व्यक्तित्व वही होता है जिसके पास निर्णय क्षमता होती

है। महिलाऐं स्वयं दोयम दर्जे का जीवन जीने, बचा खाना खाने की अभ्यस्त हो चुकी हैं अतः अपने अधिकारों के लिए उन्हें उठ खड़ा होना होगा। गलत का डटकर सामना कर, विरोध करना सीखें। महिला एवं पुरूषों के बीच कार्यक्षेत्र का बँटवारा दोबारा किया जाये।

प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हुए **श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम** ने कहा कि मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जो सभी सामाजिक विषयों में सबसे गम्भीर है। कानून बनाकर मानवाधिकारों की रक्षा करना श्रेष्ठ उपाय सिद्ध हो सकता है किन्तु मानवाधिकारों सम्बन्धी घोषणाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की आवश्यकता है जिससे मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र केवल दस्तावेज बनकर न रह जायें। वास्तव में इसी में मानवाधिकारों की सार्थकता निहित है।

<u>लघु अन्तराल</u> (12.30 से 12.45)

प्रथम सत्र के उपरान्त 15 मिनट के लघु अन्तराल में प्रतिभागी छात्राओं को स्वल्पाहार वितरण किया गया।

<u>द्वितीय सत्र</u> (12.45 से 02.15)

संचालिका **डॉ. अलका गोयल** ने कार्यशाला के द्वितीय सत्र में विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि देश विदेश में अधिकारों का पूर्ण सदुपयोग नहीं हो रहा। विश्व के कुछ स्थानों जैसे गाजा, स्वात, सीरिया, इजरायल, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि में मानवाधिकार हनन के मामले प्रायः सुनाई देते रहे हैं। दूसरी ओर मनुष्य अधिकारो की माँग के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति

जागरूक नहीं हैं। महिलाऐं भी अधिकारों का दुरूपयोग अधिक कर रही हैं उनके द्वारा न्यायालयों में दर्ज मामले मिथ्या साबित हो रहे हैं जिससे उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हमें अपने कर्त्तव्यों का भलीभाँति निर्वहन करना चाहिए तभी हमारी अधिकारों सम्बन्धी समस्या का समाधान हो सकेगा।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र की प्रथम वक्ता **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण भरतपुर श्रीमती अर्चना मिश्रा ने 'महिला सशक्तिकरण एवं अधिकार'** विषय पर व्याख्यान दिया उन्होंने महिलाओं के कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न दण्ड संहिता की विस्तृत जानकारी दी। उन्होने बताया कि संवैधानिक दृष्टि से महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हैं लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षा ही महिलाओं की स्थिति में सुधार कर सकती है अतः अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और कराने के प्रयास करने होंगे।

अर्चना मिश्रा जी ने यह भी बताया कि कि वर्तमान में न्यायालय में महिला अधिकारों के हनन, दुष्कर्म, दहेज, घरेलू हिंसा आदि के जो मामले दर्ज हो रहे हैं उनमें से 60 प्रतिशत झूठे एवं फर्जी हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं के द्वारा दी गई शिकायतों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है क्योंकि महिलाओं द्वारा जानबूझकर पुरूषों को प्रताड़ित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं द्वारा महिला सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए बनाए गए अधिनियम का दुरूपयोग करने कारण प्रताड़ित महिला भी न्याय से वंचित रह जाती है अतः महिलाओं को अपनी स्थिति सुधारने के प्रयास स्वयं करने होंगे।

माननीय न्यायाधीश ने महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी के साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रतिभागी छात्राओं को दी जिनकी फोटोप्रति छात्राओं में वितरित की गई।

द्वितीय सत्र के द्वितीय वक्ता **विधि महाविद्यालय के व्याख्याता श्री के.एस. मिश्रा** ने **'मानवाधिकार एवं नागरिकों के कर्त्तव्य'** विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने भारतीय संविधान के भाग तीन में वर्णित मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन, अधिकारों के हनन होने पर न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न आदेश एवं कार्यवाही का विस्तृत वर्णन किया साथ ही संविधान के भाग चार में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की भी विस्तृत जानकारी दी। मिश्रा जी ने बताया कि हमें अधिकारों के साथ ही कर्त्तव्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि कर्त्तव्यों का समुचित निष्पादन किया जाए तो अधिकार स्वयं मिल जायेंगे।

उन्होंने बताया कि भारत के मूल संविधान में कर्तव्यों का अध्याय नहीं था। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग–4 में अनुच्छेद 51 अ अन्तः स्थापित कर 10 मूल कर्त्तव्यों का प्रावधान किया गया। पुनः वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्त्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई।

अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह:–

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

3. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे।

4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो।

6. हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।

7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर उपलब्धि की गई ऊँचाईयों को छू ले।

11. यदि माता–पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

उपरोक्त कर्त्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए गए है लेकिन सरकार यदि इन कर्त्तव्यों में से किसी के अनुसार कानून बनाती है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक नहीं ठहरा सकता।

खुला सत्र (02.15 से 03.00)

मानवाधिकार तथा कर्त्तव्य परिबोध पर दो सत्रों में वक्ताओं के समसामयिक तथा सारगर्भित व्याख्यानों के उपरान्त खुला सत्र में प्रतिभागी छात्राओं ने इन विषयों पर अपनी जिज्ञासाओं को विषय विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत किया जिस पर एक स्वस्थ परिचर्चा हुई। विशेषज्ञों ने छात्राओं की समस्याओं व जिज्ञासाओं का समुचित समाधान किया और इससे संबधित कानूनों व संस्थाओं की जानकारी दी।

इस परिचर्चा में मुख्य रूप से जया शर्मा (B.A. III), अनुराधा पाठक (B.Sc. III), निर्मल (B.A. I), ज्योति जायसवाल (B.Sc. III), बीना कुमारी (B.A. I), बबली कुमारी (B.Sc. III), जयापाल (B.Com. I), श्रेजल अग्रवाल (B.Com. I), प्रिया सेन (B.Com. I), कान्ता कुमारी (B.Sc. I), हेमलता सैनी (B.Com. I), प्रियंका शर्मा (B.A. I), नेहा (B.A. I), आदि की सक्रिय भागीदारी रही।

समापन सत्र (03.00–04.00)

समापन सत्र में कार्यशाला समन्वयक **डॉ. अन्जु पाठक** ने कार्यशाला सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा कि यद्यपि मानवाधिकार सबके लिए समान हैं किन्तु इनका वास्तविक लाभ उसे ही मिल पाता है जिसके पास इनकी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। इस कार्यशाला के माध्यम से छात्राओं को मानवाधिकार तथा इनसे संबंधित वैधानिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई और साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। एक संतुलित समाज की स्थापना के लिए यह एक अनिवार्य कदम है।

प्रतिभागी छात्राओं को महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम तथा उपस्थित अतिथियों ने प्रमाण–पत्र वितरित किये। **श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम** ने अपने उद्‌बोधन में कार्यशाला आयोजक ह्यूमन राइट्स क्लब सदस्यों को कार्यशाला के सफल आयोजन की बधाई देते हुए ऐसी गतिविधियों को छात्राओं के लिए अत्यन्त उपयोगी बताया। उन्होंने छात्राओं की भी सराहना की कि उन्होंने सम्पूर्ण कार्यक्रम में धैयपूर्वक प्रतिभागिता दी तथा अपनी सक्रिय भागीदारी से कार्यशाला के वास्तविक उद्‌देश्यों की पूर्ति की।

अन्त में **डॉ. अलका गोयल** ने कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार प्रदर्शन किया।

Constitutional Rights to Women:

The rights and safeguards enshrined in the constitution for women in India are listed below:

- The state shall not discriminate against any citizen of India on the ground of sex **[Article 15(1)]**.
- The state is empowered to make any special provision for women. In other words, this provision enables the state to make affirmative discrimination in favour of women **[Article 15(3)]**.
- No citizen shall be discriminated against or be ineligible for any employment or office under the state on the ground of sex **[Article 16(2)]**.
- Traffic in human beings and forced labour are prohibited **[Article 23(1)]**.
- The state to secure for men and women equally the right to an adequate means of livelihood **[Article 39(a)]**.
- The state to secure equal pay for equal work for both Indian men and women **[Article 39(d)]**.
- The state is required to ensure that the health and strength of women workers are not abused and that they are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their strength **[Article 39(e)]**.
- The state shall make provision for securing just and humane conditions of work and maternity relief **[Article 42]**.
- It shall be the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women **[Article 51-A(e)]**.
- One-third of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women **[Article 243-D(3)]**.
- One-third of the total number of offices of chairpersons in the Panchayats at each level shall be reserved for women **[Article 243-D(4)]**.
- One-third of the total number of seats to be filled by direct election in every Municipality shall be reserved for women **[Article 243-T(3)]**.
- The offices of chairpersons in the Municipalities shall be reserved for women in such manner as the State Legislature may provide **[Article 243-T(4)]**.

Legal Rights to Women:

The following various legislation's contain several rights and safeguards for women:

- Protection of Women from Domestic Violence Act (2005) is a comprehensive legislation to protect women in India from all forms of domestic violence. It also covers women who have been/are in a relationship with the abuser and are subjected to violence of any kind—physical, sexual, mental, verbal or emotional.

- Immoral Traffic (Prevention) Act (1956) is the premier legislation for prevention of trafficking for commercial sexual exploitation. In other words, it prevents trafficking in women and girls for the purpose of prostitution as an organised means of living.
- Indecent Representation of Women (Prohibition) Act (1986) prohibits indecent representation of women through advertisements or in publications, writings, paintings, figures or in any other manner.
- Commission of Sati (Prevention) Act (1987) provides for the more effective prevention of the commission of sati and its glorification on women.
- Dowry Prohibition Act (1961) prohibits the giving or taking of dowry at or before or any time after the marriage from women.
- Maternity Benefit Act (1961) regulates the employment of women in certain establishments for certain period before and after child-birth and provides for maternity benefit and certain other benefits.
- Medical Termination of Pregnancy Act (1971) provides for the termination of certain pregnancies by registered medical practitioners on humanitarian and medical grounds.
- Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act (1994) prohibits sex selection before or after conception and prevents the misuse of pre-natal diagnostic techniques for sex determination leading to female foeticide.
- Equal Remuneration Act (1976) provides for payment of equal remuneration to both men and women workers for same work or work of a similar nature. It also prevents discrimination on the ground of sex, against women in recruitment and service conditions.
- Dissolution of Muslim Marriages Act (1939) grants a Muslim wife the right to seek the dissolution of her marriage.
- Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act (1986) protects the rights of Muslim women who have been divorced by or have obtained divorce from their husbands.
- Family Courts Act (1984) provides for the establishment of Family Courts for speedy settlement of family disputes.
- Indian Penal Code (1860) contains provisions to protect Indian women from dowry death, rape, kidnapping, cruelty and other offences.
- Code of Criminal Procedure (1973) has certain safeguards for women like obligation of a person to maintain his wife, arrest of woman by female police and so on. 125
- Indian Christian Marriage Act (1872) contain provisions relating to marriage and divorce among the Christian community.

- Legal Services Authorities Act (1987) provides for free legal services to Indian women.
- Hindu Marriage Act (1955) introduced monogamy and allowed divorce on certain specified grounds. It provided equal rights to Indian man and woman in respect of marriage and divorce.
- Hindu Succession Act (1956) recognizes the right of women to inherit parental property equally with men.
- Minimum Wages Act (1948) does not allow discrimination between male and female workers or different minimum wages for them.
- Mines Act (1952) and Factories Act (1948) prohibits the employment of women between 7 P.M. to 6 A.M. in mines and factories and provides for their safety and welfare.
- The following other legislation's also contain certain rights and safeguards for women:
    - Employees' State Insurance Act (1948)
    - Plantation Labour Act (1951)
    - Bonded Labour System (Abolition) Act (1976)
    - Legal Practitioners (Women) Act (1923)
    - Indian Succession Act (1925)
    - Indian Divorce Act (1869)
    - Parsi Marriage and Divorce Act (1936)
    - Special Marriage Act (1954)
    - Foreign Marriage Act (1969)
    - Indian Evidence Act (1872)
    - Hindu Adoptions and Maintenance Act (1956).
- National Commission for Women Act (1990) provided for the establishment of a National Commission for Women to study and monitor all matters relating to the constitutional and legal rights and safeguards of women.
- Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal), Act (2013) provides protection to women from sexual harassment at all workplaces both in public and private sector, whether organised or unorganized

Laws and Procedures: Sexual Harassment in the Workplace

Vishaka Guidelines against Sexual Harassment in the Workplace

Guidelines and norms laid down by the Hon'ble Supreme Court in Vishaka and Others Vs. State of Rajasthan and Others (JT 1997 (7) SC 384)

HAVING REGARD to the definition of 'human rights' in Section 2 (d) of the Protection of Human Rights Act, 1993,

TAKING NOTE of the fact that the present civil and penal laws in India do not adequately provide for specific protection of women from sexual harassment in work places and that enactment of such legislation will take considerable time,

It is necessary and expedient for employers in work places as well as other responsible persons or institutions to observe certain guidelines to ensure the prevention of sexual harassment of women.

1. Duty of the Employer or other responsible persons in work places and other institutions

It shall be the duty of the employer or other responsible persons in work places or other institutions to prevent or deter the commission of acts of sexual harassment and to provide the procedures for the resolution, settlement or prosecution of acts, of sexual harassment by taking all steps required.

2. Definition

For this purpose, sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or by implication) as:

a) Physical contact and advances;

b) A demand or request for sexual favours;

c) Sexually coloured remarks;

d) Showing pornography;

e) Any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature

Where any of these acts is committed in circumstances where-under the victim of such conduct has a reasonable apprehension that in relation to the victim's employment or work whether she is drawing salary, or honorarium or voluntary, whether in government, public or private enterprise such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem. It is discriminatory for instance when the woman has reasonable grounds to believe that her objection would disadvantage her in connection with her employment or work including recruiting or promotion or when it creates a hostile work environment. Adverse consequences might be visited if the victim does not consent to the conduct in question or raises any objection thereto.

3. Preventive Steps

All employers or persons in charge of work place whether in public or private sector should take appropriate steps to prevent sexual harassment. Without prejudice to the generality of this obligation they should take the following steps:

(a) Express prohibition of sexual harassment as defined above at the work place should be notified, published and circulated in appropriate ways.

(b) The Rules/Regulations of Government and Public Sector bodies relating to conduct and discipline should include rules/regulations prohibiting sexual harassment and provide for appropriate penalties in such rules against the offender.

(c) As regards private employers, steps should be taken to include the aforesaid prohibitions in the standing orders under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.

(d) Appropriate work conditions should be provided in respect of work, leisure, health and hygiene to further ensure that there is no hostile environment towards women at work places and no employee woman should have reasonable grounds to believe that she is disadvantaged in connection with her employment.

4. Criminal Proceedings

Where such conduct amounts to a specific offence under the Indian Penal Code or under any other law, the employer shall initiate appropriate action in accordance with law by making a complaint with the appropriate authority.

In particular, it should ensure that victims, or witnesses are not victimized or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment. The victims of sexual harassment should have the option to seek transfer of the perpetrator or their own transfer.

5. Disciplinary Action

Where such conduct amounts to misconduct in employment as defined by the relevant service rules, appropriate disciplinary action should be initiated by the employer in accordance with those rules.

6. Complaint Mechanism

Whether or not such conduct constitutes an offence under law or a breach of the service rules, an appropriate complaint mechanism should be created in the employer's organisation for redress of the complaint made by the victim. Such complaint mechanism should ensure time bound treatment of complaints.

7. Complaints Committee

The complaint mechanism, referred to in (6) above, should be adequate to provide, where necessary, a Complaints Committee, a special counsellor or other support service, including the maintenance of confidentiality.

The Complaints Committee should be headed by a woman and not less than half of its member should be women. Further, to prevent the possibility of any undue pressure or influence from senior levels, such Complaints Committee should involve a third party, either NGO or other body who is familiar with the issue of sexual harassment.

The Complaints Committee must make an annual report to the Government department concerned of the complaints and action taken by them.

The employers and person in charge will also report on the compliance with the aforesaid guidelines including on the reports of the Complaints Committee to the Government department.

8. Worker's Initiative

Employees should be allowed to raise issues of sexual harassment at a workers' meeting and in other appropriate forum and it should be affirmatively discussed in Employer-Employee Meetings.

9. Awareness

Awareness of the rights of female employees in this regard should be created in particular by prominently notifying the guidelines (and appropriate legislation when enacted on the subject) in a suitable manner.

10. Third Party Harassment

Where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, the employer and person in charge will take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action.

11. The Central/State Governments are requested to consider adopting suitable measures including legislation to ensure that the guidelines laid down by this order are also observed by the employers in Private Sector.

12. These guidelines will not prejudice any rights available under the Protection of Human Rights Act, 1993.

***

Other legal provisions include filing a **criminal case** under sections of the Indian Penal Code (IPC), the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act and/or filing a civil suit.

The sections of the **Indian Penal Code** that can be applicable to sexual harassment (which makes it a criminal case):

1. Section 294

'Whoever, to the annoyance of others, (a) does any obscene act in any public place, or (b) sings, recites and utters any obscene songs, ballads or words, in or near any public space, shall be punished with imprisonment of either description for a term that may extend to three months, or with fine, or with both.' This provision is included in Chapter XVI entitled 'Of Offences Affecting Public Health, Safety, Convenience and Morals' and is cognisable, bailable and triable by any magistrate.

2. Section 354

Whoever assaults or uses criminal force on any woman, intending to outrage her modesty or knowing it likely that he will thereby outrage her modesty, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

3. Section 509

(Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman) This is included in Chapter 22 entitled 'Of Criminal Intimidation, Insult and Annoyance', and is cognisable, bailable and triable by any magistrate. It holds: 'Whoever, intending to insult the modesty of

a woman, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture is seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.'

Under the **Indecent Representation of Women (Prohibition) Act** (1987) if an individual harasses another with books, photographs, paintings, films, pamphlets, packages, etc. containing the "indecent representation of women", they are liable for a minimum sentence of 2 years. Section 7 (Offenses by Companies) further holds companies where there has been "indecent representation of women" (such as the display of pornography) on the premises, guilty of offenses under this act, with a minimum sentence of 2 years.

Civil case

A civil suit can be filed for damages under tort laws. That is, the basis for filing the case would be mental anguish, physical harassment, loss of income and employment caused by the sexual harassment.

रामेश्वरी देवी राज0 स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,भरतपुर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की XII वीं योजनान्तर्गत आयोजित कार्यशाला

मानवाधिकार तथा कर्तव्य परिबोध

(Human Rights & Duties Education)

आयोजन कर्त्ता – ह्यूमन राइट्स क्लब

17 जनवरी 2017

प्रतिभागी छात्राओं के नाम

	नाम	कक्षा
1	प्रियंका शर्मा	B.A. Part I
2	रिचा शर्मा	B.SC. Part III
3	निर्मल	B.A. Part I
4	मोनिका	B.SC. Part III
5	पायल जैन	B.SC. Part III
6	प्रियंका कुमारी	B.SC. Part I
7	ज्योति जायसवाल	B.SC. Part III
8	भावना कुमारी	B.SC. Part III
9	काजल कुमारी	B.A. Part I
10	हरप्रीत कौर	B.A. Part I
11	अंजना शर्मा	B.SC. Part II
12	तेजस्विनी शर्मा	B.SC. Part II
13	शालिनी गुप्ता	B.A. Part I
14	रजनेश कुमारी	B.A. Part I
15	प्रिया सैनी	B.A. Part I
16	बबली कुमारी	B.SC. Part III
17	कान्ता कुमारी	B.SC. Part III
18	रेखा खन्डेलवाल	B.A. Part I
19	कल्पना मदेरणा	B.SC. Part III
20	नगीना उसमानी	B.SC. Part III
21	दीपमाला	B.SC. Part III
22	सुषमा मीना	B.SC. Part III
23	श्रमवती	B.SC. Part III
24	कीर्ति कुमारी	B.SC. Part III
25	पूनम	B.A. Part I
26	योगिता सिंह	B.SC. Part III
27	कनिष्का फौजदार	B.SC. Part III
28	राशि कुमारी	B.A. Part I
29	नेहा	B.A. Part II

30	आरती कुमारी	B.A. Part II
31	दिव्या सैनी	B.A. Part II
32	भावना कुमारी	B.A. Part II
33	आशु	B.A. Part I
34	जीतू	B.A. Part I
35	पूजा नागायच	B.A. Part II
36	आरती नागायच	B.A. Part II
37	इन्दु शर्मा	B.A. Part II
38	गौरी पचौरी	B.A. Part I
39	कृष्णा पचौरी	B.A. Part I
40	चंचल	B.A. Part I
41	भावना कुमारी	B.SC. Part II
42	पूजा कुमारी	B.SC. Part II
43	सीमा गुर्जर	B.A. Part II
44	मनीषा सिंह	B.A. Part II
45	अंजना कुमारी	B.SC. Part III
46	प्रिया	B.SC. Part III
47	साक्षी जैन	B.SC. Part III
48	सोनम सोनी	B.A. Part I
49	सुनीता	B.A. Part III
50	चंचल शर्मा	B.A. Part III
51	जया पाल	B.COM. Part I
52	सिमरन कौर	B.COM. Part I
53	हेमा	B.COM. Part I
54	आरती गोला	B.COM. Part I
55	प्रीति शर्मा	B.A. Part III
56	मीरा शर्मा	B.SC. Part I
57	नेहा शर्मा	B.A. Part II
58	गायत्री	B.A. Part I
59	राजबाला	B.A. Part I
60	श्रेजल अग्रवाल	B.COM. Part I
61	सीमा शर्मा	B.COM. Part I
62	ाालिनी अग्रवाल	B.COM. Part I
63	सोनम सिंह	B.COM. Part I
64	कृति गुप्ता	B.COM. Part I
65	जया शर्मा	B.A. Part III
66	क्षमा कुमारी	B.A. Part I
67	लवीना लाम्बा	B.COM. Part I

68	पूनम कुमारी	B.A. Part I
69	गौरी	B.A. Part I
70	ललिता रानी	B.SC. Part III
71	पूनम	B.A. Part III
72	प्रतीक्षा	B.SC. Part III
73	सपना शर्मा	B.A. Part I
74	गुन्नार	B.A. Part II
75	दीक्षा चौधरी	B.SC. Part III
76	रीना कुमरी	B.A. Part I
77	प्रियंका	B.A. Part I
78	सीमा कुमारी	B.SC. Part III
79	प्रियंका	B.SC. Part I
80	हेमलता	B.COM. Part I
81	प्रिया जैन	B.COM. Part I
82	हेमलता सैनी	B.COM. Part I
83	कुसुमलता	B.COM. Part I
84	गौरी मुद्गल	B.COM. Part I
85	सृष्टि शर्मा	B.SC. Part I
86	अमृत कुमारी	B.A. Part III
87	वर्षा	B.A. Part I
88	प्रियंका चौधरी	B.SC. Part III
89	समप्रीत कौर	B.SC. Part II
90	मोनिका जैन	B.SC. Part II
91	नीतेश फौजदार	B.SC. Part II
92	अर्चना मीना	B.SC. Part III
93	अनुराधा पाठक	B.SC. Part III
94	राखी	B.SC. Part I
95	ललतेश कुमारी	B.SC. Part I
96	आरती	B.A. Part II
97	रेनू कुमारी	B.A. Part II
98	प्रीति गौतम	B.SC. Part I
99	सोनम	B.A. Part III
100	अर्चना कुमारी	B.A. Part I
101	शबनम	B.A. Part I
102	रोशनी	B.SC. Part I
103	कोमल वर्मा	B.SC. Part I

उद्घाटन सत्र

माँ शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन

उपाचार्य श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम का उद्बोधन

कार्यशाला सत्र

यू.जी.सी. समिति प्रभारी डॉ0 करूणा गौर का उद्‌बोधन

डॉ0 अलका गोयल द्वारा विषय प्रवर्तन एवं संचालन

कार्यशाला सत्र

मंचासीन बाँये से डॉ. करूणा गौर, श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम, डॉ. अलका अग्रवाल तथा डॉ. अन्जु पाठक

कार्यशाला समन्वयक डॉ. अंजु पाठक द्वारा कार्यशाला का परिचय

कार्यशाला सत्र

श्रीमती अर्चना मिश्रा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश का व्याख्यान

मंचासीन बाँये से डॉ. करूणा गौर, श्रीमती राजलक्ष्मी गौतम, श्रीमती अर्चना मिश्रा, डॉ. अन्जु पाठक, श्रीमती लता शर्मा तथा डॉ. अलका गोयल

कार्यशाला सत्र

श्री के.एस.मिश्रा प्राध्यापक राज. विधि महा. भरतपुर का व्याख्यान

श्रीमती लता शर्मा द्वारा द्वितीय सत्र में अध्यक्षीय भाषण

खुला सत्र

प्रतिभागी छात्राओं की विचार प्रस्तुति

प्रतिभागी छात्राओं की विचार प्रस्तुति

कार्यशाला सत्र

प्रतिभागी छात्राये

कार्यशाला पंजीकरण

समापन सत्र

प्रमाण–पत्र वितरण

प्रमाण–पत्र वितरण

दैनिक भास्कर

बुधवार, 18 जनवरी, 2017 माघ कृष्ण पक्ष-6, 2073

महिलाओं के मिले अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो

मानवाधिकार तथा कर्तव्य परिबोध विषय पर आरडी गर्ल्स कॉलेज में कार्यशाला

भास्कर संवाददाता | भरतपुर

राजकीय रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को ह्यूमन राइट्स क्लब की ओर से यूजीसी के तत्वावधान में मानवाधिकार तथा कर्तव्य परिबोध विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षता करते प्राचार्य राज लक्ष्मी गौतम ने छात्राओं को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हुए ऐसी गतिविधियों का अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया।

इस मौके पर प्रथम सत्र की मुख्य वक्ता एमएसजे कॉलेज की उपाचार्य डा. अलका अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकार तभी प्राप्त कर सकती हैं जब वे सजग और जागरूक हों तथा अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करें। वहीं द्वितीय सत्र में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अर्चना मिश्रा ने महिला अधिकारों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों की जानकारी देते हुए उनका दुरुपयोग न करने का आह्वान किया।

भरतपुर। आरडी गर्ल्स कालेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेती छात्राएं।

इसी प्रकार विधि महाविद्यालय के प्राध्यापक केएस मिश्रा ने भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार तथा कर्तव्यों की जानकारी दी, लता शर्मा ने छात्राओं से अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन करने का आह्वान किया। वहीं डा. करूणा गौर ने महाविद्यालय में यूजीसी द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। संयोजक डा. अंजू पाठक ने कार्यशाला के विभिन्न विषयों पर छात्राओं के विचार आमंत्रित कर समूह चर्चा संपन्न कराई। संचालन डा. अलका गोयल ने किया।

राजस्थान पत्रिका
भरतपुर . बुधवार . 18.01.2017

भरतपुर. कार्यक्रम को सम्बोधित करतीं हुई।

'महिला अधिकारों का नहीं हो दुरुपयोग'

आरडी गर्ल्स कॉलेज में कार्यशाला

भरतपुर @ पत्रिका. आरडी गर्ल्स कॉलेज में ह्यूमन राइट्स क्लब की ओर से मानवाधिकार तथा कर्तव्यबोध विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। प्राचार्य राजलक्ष्मी गौतम के अनुसार कार्यशाला को सम्बोधित करते एमएसजे कॉलेज की उपाचार्य अलका अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकार तभी प्राप्त कर सकती हैं जब वे सजग और जागरुक होकर अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करें। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश अर्चना मिश्रा ने महिला अधिकारों की जानकारी देते उनका दुरुपयोग नहीं करने का आह्वान किया। लता शर्मा ने छात्राओं से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात कही। डॉ. वरुणा गौर ने यूजीसी की ओर से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। संयोजक अंजू पाठक एवं अलका गोयल ने भी विचार व्यक्त किए।

बौद्धिक प्रतियोगिता बीस को

भरतपुर. विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं सृजनात्मक अभिवृद्धि के लिए 20 जनवरी को महाराजा बदनसिंह राउमावि में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम के अनुसार प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर पर प्रथम व द्वितीय रहे विद्यार्थी शामिल होंगे।

अमर उजाला
आगरा
बुधवार, 18 जनवरी 2017

अधिकारों के प्रति सजग हो महिलाएं

रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में हुई कार्यशाला

रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में हुई कार्यशाला में मौजूद महिलाएं।

अमर उजाला ब्यूरो

भरतपुर।

रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में ह्यूमन राइट्स क्लब द्वारा यूजीसी के तत्वावधान में 'मानवाधिकार तथा कर्तव्य परिबोध' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को किया गया। अध्यक्षता प्राचार्या राजलक्ष्मी गौतम ने की। मुख्य वक्ता एम.एस.जे कॉलेज की उपाप्राचार्या डा. अलका अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकार तभी प्राप्त कर सकती है जब वे इसके प्रति सजग और जागरूक बनेंगी। इसी तरह से लता शर्मा ने छात्राओं से अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन करने का आग्रह किया। डा. करुणा गौर ने महाविद्यालय में यूजीसी द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्त्रमों की जानकारी दी। कार्यशाला संयोजक डा. अंजू पाठक आदि भी ने भी विचार व्यक्त किये।

पंजाब केसरी
18 जनवरी, 2017, बुधवार

कार्यशाला को संबोधित करती वक्ता एवं उपस्थित छात्राएं।

मानवाधिकार तथा कर्तव्य परिबोध पर कार्यशाला आयोजित

भरतपुर, (मनोज शर्मा): रामेश्वरी देवी राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में ह्यूमन राइट्स क्लब की ओर से यूजीसी के तत्वावधान में 'मानवाधिकार तथा कर्तव्य परिबोध' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्या राजलक्ष्मी गौतम ने छात्राओं को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हुए ऐसी गतिविधियों का अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया।

प्रथम सत्र की मुख्य वक्ता एम.एस.जे कॉलेज की उपाचार्या डॉ. अल्का अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकार तभी प्राप्त कर सकती है जब वे सजग और जागरूक हो तथा अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करें। द्वितीय सत्र में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश अर्चना मिश्रा ने महिला अधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों की जानकारी देते हुए उनका दुरूपयोग न करने का आग्रह किया।